अत्यन्त आवश्यक / तुरन्त

उ0प्र0मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना

संख्या– 2853 / 26–2–2010–3मु0स0 / 2010

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2010**

विषयः उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग–2 के पत्र संख्या–2586 / 26–2–2010 –3मु0स0 / 2010 , दिनांक 13 अगस्त, 2010 का संदर्भ ग्रहण करें। अधिकतर जनपदों से इस पत्र के माध्यम से प्रत्येक दिवस निर्धारित प्रारूप में जो सूचनाएं मांगी जा रही थीं वह प्राप्त नहीं हो रही हैं तथा अन्तिम रूप से चयनित लाभार्थियों की सूची अपलोड नहीं हो रही है। चूँकि योजना का क्रियान्वयन 01 अक्टूबर 2010 से प्रारंभ होगा, अतः यह आवश्यक है कि समस्त ग्राम पंचायतों एवं वार्डों की खुली बैठकें शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करा ली जांय तथा लाभार्थियों की अंतिम सूची पूर्व में निर्गत मानकों के अनुरूप ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों में एवं वार्डों की खुली बैठकों में अंतिम की जाय।

2. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सर्वेक्षित डाटा के आधार पर निकाली गयी सूचियों में आपत्तियां आदि प्राप्त होने पर जो परिवर्तन ग्राम पंचायतों / वार्डों की बैठकों में प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक हो उन्हें अवश्य किया जाये किन्तु ग्राम पंचायतों / वार्डों की बैठक की कार्यवाही में इसका उल्लेख होना अत्यन्त आवश्यक होगा। जो भी परिवर्तन सर्वेक्षित सूची में किया जायेगा उसके कारणों का उल्लेख ग्राम पंचायतों / वार्डों की बैठक की कार्यवाही में अवश्य होना चाहिए। यदि बैठक की कार्यवाही में परिवर्तनों का उल्लेख नहीं होता है तो ऐसे परिवर्तनों को मान्यता देना संभव नहीं होगा। ग्राम पंचायत की बैठकों की कार्यवाही में ग्राम पंचायत अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर के अतिरिक्त उपजिलाधिकारी / जनपद स्तरीय अधिकारी (जो उस बैठक में जिलाधिकारी के आदेशानुसार उपस्थित रहे हों) उनका हस्ताक्षर (पूर्ण नाम एवं पदनाम सहित) भी आवश्यक है। यही स्थिति वार्डो की बैठकों में भी लागू होगी जिसमें अधिशासी अधिकारी या नगर महापालिका / पालिका द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ ही साथ जिलाधिकारी के आदेशानुसार बैठक में उपस्थित रहने वाले जिला स्तरीय अधिकारी / उपजिलाधिकारी के भी हस्ताक्षर होंगे।

3. बैठकों में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारणस्वरूप जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें खुली बैठकों की कार्यवाही में अभिलिखित करते हुए एन0आई0सी0 द्वारा तैयार साफ्टवेयर में पूर्व के डाटा को तदनुसार परिवर्तन (edit) किया जायेगा एवं तदोपरान्त उसी साफ्टवेयर में Transfer Key के माध्यम से उसे ट्रांसफर किया जायेगा जिसके माध्यम से मानकों के अनुरूप लाभार्थियों की सूची एक अलग तालिका में सुरक्षित की जायेगी। डाटा की सी0डी0 तैयार कर एन0आई0सी0 के डी0आई0ओ0 को उपलब्ध करायी जायेगी। इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जाय कि ग्राम सभा / वार्डों की बैठक होने के 2 दिन के अन्दर सूची को अन्तिम रूप देते हुए एन0आई0सी0 के साफटवेयर में अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि एक ग्राम पंचायत / वार्ड के संबंध में एक ही बार लाभार्थी की सूची एन0आई0सी0 के डी0आई0ओ0 को उपलब्ध करायी जाय, उसमें बार बार परिवर्तन मान्य नहीं है और न इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। एन0आई0सी0 के डी0आई0ओ0 को यह निर्देश अलग से दिये गये हैं कि एक ग्राम पंचायत / वार्ड के संबंध में एक ही बार लाभार्थी की सूची का डाटा स्वीकार करें। इस प्रकार प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 के डी0आई0ओ0 द्वारा साफ्टवेयर में अपलोड किया जायेगा जो एन0आई0सी0 मुख्यालय पर प्राप्त हो जायेगा।

4. योजना से संबंधित मूल शासनादेश संख्या 185 / 26–2–2010– 3मु0स0 / 2010 दिनांक 15 जनवरी 2010 में यह निर्देश दिये गये थे कि लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप जिलाधिकारी

द्वारा प्रदान किया जायेगा। कुछ जनपदों से इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि मूल सर्वेक्षित सूची में स्कोर आधारित अनुमन्य लाभार्थियों की सूची में खुली बैठकों के उपरान्त अत्यधिक वृद्धि की गयी है जिसका कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। जिन ग्राम सभा/वार्डों की बैठकों में 10 प्रतिशत से अधिक संख्या बढ़ती है तो ऐसे ग्राम सभा/वार्डों की कार्यवाही को जिलाधिकारियों के स्तर पर परीक्षण कर यह देखा जाय कि वृद्धि किन कारणों से हुई है क्या सर्वेक्षण कार्य गलत किया गया था अथवा बैठक में दबाववश सूची बढ़ा दी गयी है। इस संबंध में जो भी स्थिति हो, दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बिन्दु है एवं जिलाधिकारीगण का व्यक्तिगत ध्यान इस ओर दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि अपात्र लाभार्थियों का प्रवेश न होने पावे। इस संबंध में संबंधित उपजिलाधिकारी को ऐसी ग्राम पंचायत/वार्डों की जांच करने को कहा जाय जो प्रत्येक मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

5. एन0आई0सी0 में डाटा अपलोडिंग का कार्य तत्परता से कराये जाने की आवश्यकता है जिससे शासन स्तर पर लाभार्थियों की सूची शीघ्र उपलब्ध हो सके ताकि धनराशि शीघ्रातिशीघ्र भेजी जा सके। इसके पूर्व यह भी आवश्यक है कि पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुरूप चयनित लाभार्थियों से आवेदन पत्र भरवाये जॉय। भरे हुए आवेदन पत्रों के आधार पर डाटा फीड कराने के संबंध में निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय।

(I) उन्हीं आवेदन पत्रों की फीडिंग की जाय जो पूर्णरूप से भरे हुए हों एवं आवेदक/महिला मुखिया के हस्ताक्षर हों तथा संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा भी सत्यापित/प्रतिहस्ताक्षरित हों।

(II) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवेदन पत्र उसी लाभार्थी का है जिसका नाम जिलाधिकारी द्वारा की गयी अंतिम सूची में उपलब्ध है।

(III) एन0आई0सी0के साफ्टवेयर में आवेदन पत्र भरने की भी व्यवस्था की गयी है जिसमें लाभार्थी का नाम, लाभार्थी के पिता का नाम स्क्रीन पर फार्म नम्बर के साथ प्रदर्शित होगा।

(IV) यदि सर्वेक्षण फार्म पर महिला मुखिया का नाम भरा गया था तो वह भी प्रदर्शित होगा अन्यथा लाभार्थी द्वारा भरे गये आवेदन पत्र से लिया जाय।

(V) आवेदन पत्र के आधार पर साफ्टवेयर में डाटा फीडिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि लाभार्थी का नाम सही रूप से अंकित है एवं यह वही है जो अंतिम सूची में उल्लिखित है। इसी प्रकार पिता के नाम के संबंध में पुनः चेकिंग कर ली जाय। इसके उपरान्त अन्य सभी सूचनाएं जो आवेदन पत्र पर उपलब्ध हैं, उन्हें भरा जाय।

(VI) श्रेणी/वर्ग के कालम में आवेदन पत्र के आधार पर डाटा प्रविष्टि की जाय। इसके संबंध में 2 बातें अवश्य सत्यापित कर ली जांय। प्रथम यह कि यह वर्ग वही है जो सर्वेक्षण के समय भरा गया था अथवा उसमें कोई परिवर्तन है। यदि परिवर्तन है तो ऐसे मामलों को उपजिलाधिकारी के संज्ञान में लाया जाय तथा उसकी डाटा फीडिंग उस समय पूर्ण न की जाय। दूसरा बिन्दु यह देखा जाय कि आवेदन पत्र के साथ उसने संबंधित श्रेणी/वर्ग संबंधी जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया है अथवा नहीं। प्रमाण पत्र की वैधता राजस्व विभाग की वेबसाइट (bor.up.nic.in) से कर ली जाय अथवा स्थानीय तहसील के माध्यम से करा ली जाय।

(VII) आवेदन पत्र की डाटा फीडिंग में यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक आवेदन पत्र की प्रत्येक प्रविष्टि को निश्चित रूप से डाटा आपरेटर से प्रविष्टि के बाद कम से कम एक बार दूसरे व्यक्ति द्वारा चेक किया जाय एवं सत्यापित करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर प्रिंट आऊट पर लेकर सुरक्षित रखा जाय। इस प्रकार अंतिम किये गये डाटा को ही एन0आई0सी0 पर भेजा जाय।

6. योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि सभी स्तरों पर योजना से संबंधित सभी अभिलेखों का रखरखाव समुचित प्रकार से किया जाय तथा सभी अभिलेख सुरक्षित रखे जांय । इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि सर्वेक्षण के प्रपत्र, खुली बैठकों की कार्यवाही, ग्राम पंचायतों/वार्डों की खुली बैठकों में अंतिम किये गये लाभार्थियों की सूची, लाभार्थियों के भरवाये जाने वाले आवेदन पत्र तथा लाथार्थियों के संबंध में जिलाधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों/वार्डवार अंतिम की गयी लाभार्थियों की सूची आदि सुरक्षित रखी जाय।

7. शासन के पत्र संख्त्रा 2276/26–2–2010–3मु0स0/10 दिनांक 27 जुलाई 2010 में यह निर्देश भी दिये गये थे कि जिन लाभार्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया जाय उनके खाते

राष्ट्रीयकृत बैंको की शाखाओं में खुलवाये जांय । इस संबंध में पुनर्विचार करते हुए एवं इस बात को देखते हुए कि लाभार्थियों को बहुत अधिक दूरी खाता संचालन हेतु तय न करनी पड़े, यह निर्णय लिया गया है कि लाभार्थियों के खाते स्टेट बैंक आफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक्ट 1976 के अन्तर्गत संचालित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में ही खाले जांय। साफ्टवेयर में मात्र इन्हीं बैंकों हेतु व्यवस्था की जा रही है। तद्नुरूप सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित कर दिया जाय ताकि उपरोक्तानुसार अनुमन्य बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों में खाते न खुलवाये जांय।

8. अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए लाभार्थियों की सूची से संबंधित समस्त डाटा एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर पर शीघ्रातिशीघ्र अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं अंतिम रूप से प्रत्येक दशा में दिनांक 15 सितम्बर 2010 तक डाटा अपलोड करा दिया जाय। आज से ही डाटा प्रत्येक दिवस अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि अंतिम दिन अपलोडिंग कार्य अवशेष न रह जाये। इस संबंध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 15 सितम्बर 2010 तक समस्त लाभार्थियों की सूची का डाटा अपलोड न होने को शासन में अत्यन्त गंभीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
समाज कल्याण आयुक्त

संख्या– 2853(1)/26–2–2010, तददिनांक।

1– उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से मण्डल के अधीन आने वाले समस्त जनपदों को उपरोक्तानुसार निर्देशित करते हुए समय से अंतिम लाभार्थी सूची का डाटा अपलोड कराने तथा आवेदन पत्र की फीडिंग पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

2– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

3– निदेशक,एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त की प्रति एन0आई0सी0 के ई–मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करें तथा उपरोक्तानुसार साफ्टवेयर से संबंधित की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में जनपद स्तरीय डी0आई0ओ0 को अपेक्षित निर्देश भी भेजें।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
समाज कल्याण आयुक्त